कार्यालय
Office of the
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–प्रथम
Electricity Urban Distribution Division-I
33/11 के.वी. उपसंस्थान, सैक्टर 25, नौएडा, दूरभाष:2533152
33/11 KV Sub Station, Sec-25, Noida, Ph. 2533152
सिन नं0-UI31200UP2005GC027458 w.e.f. 11/2014

पत्रांक : 3049 / वि0न0वि0ख0– प्र0 / नोएडा दिनांक : 1/6/17

M/s Supertech Limited,
(Cape Town)
GH-01, Sector-74
Noida,

विषयः– बिल्डर सुपरटैक द्वारा विद्युत बिलिंग में अनियमितताओं के संम्बन्ध में।

महोदय,

मै0 सुपरटैक कैपटाऊन निवासी श्री अरूण शर्मा एंव अन्य द्वारा विभाग के उच्चाधिकारीयों एंव इस कार्यालय में शिकायत की गयी है कि उ0प्र0पा0का0लि0 एंव उ0प्र0वि0नियामक आयोग के द्वारा निर्धारित समय समय पर दरों पर बिलिंग ना कर अनियमित तरीके से विद्युत आपूर्ति एंव बिलिंग की जा रही है।

उ0प्र0विद्युत अधिनियम 2003 में लाइसेन्सी को प्रदत्त अधिकारों के तहत और आप लाईसेन्सी के डीम्ड फ्रेन्चाईजी मान्य होने पर, आपको निम्नवत नियमों का पालन करने हेतु निर्देशित किया जाता है:–

1. उ0प्र0वि0नियामक आयोग द्वारा स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि टैरिफ में निहित दरो से मात्र 5% अतिरिक्त प्रभार सोसाईटी में रहने वाले अध्यासियो से डीम्ड फ्रेन्चाईजी को वसूलने का अधिकार प्राप्त है जबाकि शिकायतकर्तायो के अनुसार आपके द्वारा विभिन्न मदो, उदाहरणार्थ वैन्डिग चार्जेज 30/– प्रति माह वसूला जा रहा है जो कि नितान्त अनुचित है। यही नियम विद्युत भार स्वीकृत करने, घटाने एवं बढाने की स्थिति में भी लागू होगा।
2. विद्युत देय के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि प्रीपेड मीटर के माध्यम से मल्टीस्टोरी बिल्डिग में रहने वाले व्यक्तियो से वसूल नही की जा सकती और न ही उस व्यक्ति का विद्युत संयोजन इस आधार पर विच्छेदित किया जा सकता है कि उसने विद्युत देय के अतिरिक्त अन्य देय की अदायगी में डिफाल्ट किया हो लेकिन शिकायतकर्त्ताओं ने अवगत कराया है कि प्रीपेड मीटर के माध्यम से अन्य शुल्क भी वसूले जा रहे है, एंव इन शुल्कों के ना देने की स्थिति में अध्यासियों का विद्युत संयोजन विचछेदित किया जा रहा है जो कि उ0प्र0वि0नियामक आयोग द्वारा जारी निर्देशो के तहत पूर्णतया वर्जित है।
3. विद्युत नियामक आयोग द्वारा डीम्ड फ्रेन्चाईजी के लिए यह भी आदेशित किया गया है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे समस्त उपभोक्ताओं एंव लाईसेन्सीयों को समस्त उपभोक्ताओं से वसूली गयी धनराशि और लाईसेन्सी को भुगतान की गयी धनराशि का विवरण प्रति 06 माह के अन्तराल पर प्रस्तुत करेगा। डीम्ड फ्रेन्चाईजी द्वारा अपने खातों की जांच प्रत्येक 03 माह बाद सी0ए0 से करायी जायेगी और जांच एकाउंट समस्त उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जायेगा। विद्युत नियामक अयोग के आदेश में यह भी कहा गया है कि डीम्ड फ्रेन्चाईजी द्वारा विद्युत से अतिरिक्त अन्य सेवाओं के चार्जेज देय होने पर विद्युत संयोजन का विच्छेदन नही किया जाये लेकिन अभिलेखो का अवलोकन करने से सज्ञानित होता है कि आपने अभी तक इस प्रकार का कोई भी विवरण इस कार्यालय में प्रेषित नही किया है। स्पष्ट है कि यह विवरण उपभोक्ताओं को भी उपलब्ध नहीं कराया गया होगा।

Scanned by CamScanner

कार्यालय
Office of the
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–प्रथम
Electricity Urban Distribution Division-I
33/11 के.वी. उपसंस्थान, सैक्टर 25, नौएडा, दूरभाष:2533152
33/11 KV Sub Station, Sec-25, Noida, Ph. 2533152
सिन नं0–U131200UP200S5GC027458 w.e.f. 11/2014

चूकि आप लाइसेन्सी के आधीन डीम्ड फ्रेन्चायजी की तरह परिभाषित है अतः उ0प्र0वि0 अधिनियम एंव विद्युत नियामक आयोग में नियमो एंव निर्देशो का पालन करने हेतु बाध्यकारी है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपकी सोसाइटी में रहने वाले अध्यासिओं से विद्युत भार एंव विद्युत देय से सम्बन्धित धनराशि टैरिफ एंव अन्य नियमो में निहित दरो के अनुसार ही लेना सुनिश्चित करें और नियामक आयोग के आदेशानुसार उपभोक्ताओ से वसूली गयी धनराशि एंव लाईसेन्सी को भुगतान की गयी धनराशि का अब तक का पूर्ण विवरण 15 दिन के अन्दर उपभोक्ताओ एंव इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

कृप्या अवगत हों कि नियामक आयोग एंव उ0प्र0वि0अधिनियम के नियमो का उल्लघंन करने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अगल में लाई जा सकती है।

(जे0के0गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, प0वि0वि0न0नि0ल0 मेरठ।
2. अधीक्षण अभीयंता वि0वि0न0मण्डल, नौएडा।
3. श्री अरूण शर्मा एंवं अन्य कैपटाउन निवासी।

(जे0के0गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता

Scanned by CamScanner